तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 66/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/661) बअनवान गणेश कुमार व अन्य बनाम आदित्य सिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस
(प्रथम लिंक अधिकारी)

गणेश कुमार व अन्य

बनाम

आदित्य सिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री छैलसिंह, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

आदेश

दिनांक 28 जनवरी 2026

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर पोकरण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 166/2025 अनवान आदित्यसिंह व अन्य बनाम खेत कंवर इत्यादि में पारित आदेश दिनाक 24 नवंबर 2025 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 04 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उन्हें सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किये बिना ही इकतरफा स्थगन आदेश पारित कर प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों का खुलकर अवहेलना की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिथ्या व गलत तथ्यों का अंकन करते हुए पक्षकारान के मध्य विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन व निर्णित विवादों व प्रकरणों तथा उन पर पारित किये गये निर्णयों को छिपाकर न्यायालय को दिग्भ्रमित करते हुए गलत कथनों का उल्लेख कर त्वरित रूप से वादपत्र प्रस्तुत कर उसमें स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनके विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया है। अपीलार्थीगण का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वादपत्र में कोई सरोकार नहीं है और ना ही अपीलार्थीगण के विरूद्ध विभाजन की डिक्री रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 द्वारा चाही गई है, जिसका उल्लेख वादपत्र में उल्लेखित कथनों से भी भली भांति स्पष्ट है, परन्तु बावजूद इसके अधीनस्य न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअन्दाज कर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 में कृष्णा कंवर की सास किशन कंवर, जिसके द्वारा तथाकथित रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 7 द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वादग्रस्त जायदादर किशन कंवर की खातेदारी की भूमि है और किशन कंवर द्वारा कृष्णा कंवर के हक में दान पत्र निष्पादित किया है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पूर्व भूमि स्वामी किशन कंवर एवम् वर्तमान अपीलार्थीगण के मध्य अर्से दराज पूर्व दीवानी वाद दायर हुआ था, उस वाद में यह बिन्दु तय हो चुका है कि वादग्रस्त जायदाद खसरा संख्या–2378/953 की कृषि जोत की भूमि का अपीलार्थीगण की भूमि से कोई सरोकार नहीं है और ना ही अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त ही है, बल्कि अपीलार्थीगण की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

आवासीय पट्टासुदा भूमि है, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 ने गलत रूप से अपीलार्थीगण को पक्षकार मुकदमा संयोजित कर खसरा संख्या–2378/953 की भूमि की आड़ में अधीनस्थ न्यायालय को दिगभ्रमित करते हुए अपीलार्थीगण की आवासीय भूमि पर स्थगन आदेश हासिल किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली का ना तो अवलोकन किया और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का ही अवलोकन किया बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 द्वारा अपने वादपत्र में अभिकथित किये गये कथनों पर विश्वास करते हुए आलौच्य इकतरफा स्थगन पारित किया है, जो आदेश अपीलार्थीगण के विरूद्ध व उनको सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं कर पारित किया गया होने से काबिल निरस्ती के है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में पूर्व स्वामी किशन कंवर पत्नी अमरसिंह व अन्य एवम् अपीलार्थीगण के मध्य न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश पोकरण के न्यायालय में एक दीवानी मूल वाद संख्या–27/2010 बअनवानी गणेश कुमार वगैराह बनाम सुमेर कंवर वगैरह दायर हुआ था, जो उक्त दीवानी मूल वाद का निर्णय दिनांक 30.11.2024 को हो चुका है। उपरोक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2024 सक्षम सिविल न्यायालय में अपीलार्थीगण के हक में पुख्ता हो चुकी है और उससे यह स्पष्ट साबित हो गया है कि वादग्रस्त जायदाद पर अपीलार्थीगण कतई अतिक्रमी नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर बहैसियत मालिक काबिज पट्टेधारी है और उक्त भूमि का इमारती पट्टा विलेख के अनुसरण में अपीलार्थीगण बहैसियत मालिक काबिज है, जिसे कतई अतिक्रमी होना जाहिर करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन दावा दायर करने का अधिकार ही नहीं था मात्र इसी आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 5 द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कानूनन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण अपने पट्टासुदा, कब्जासुदा भूमि पर नगर पालिका पोकरण द्वारा जारी की गई निर्माण अनुमति के अनुरूप निर्माण कार्य कर रहें है। उक्त भूमि कतई कृषि भूमि नहीं है, बल्कि नगर पालिका क्षेत्र में आवासीय भूमि होकर पट्टासुदा भूमि है, जिसकी विधिवत अनुमति नगर पालिका पोकरण द्वारा जारी की हुई है और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय को किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पोकरण, ज़िला जैसलमेर द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या–166/2025 बअनवान आदित्य सिंह व अन्य बनाम खेत कंवर व अन्य में पारित इकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 24.11.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पो. की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय में विभाजन का वाद विचाराधीन है। विभाजन के मूल वाद के विचाराधीन रहते विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखे बिना आलौच्य अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 66/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/661) बअनवान गणेश कुमार व अन्य बनाम आदित्य सिंह इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपास्त किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अपनी सामलाती भूमि बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात के संबंध वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान मे विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना प्रकट होता हैं। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की चाराजोही किये बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही का समुचित अवसर प्राप्त हे। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर